


12-12-2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 11.12.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दृष्टिगत रखते हुए उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 26/2024 में पारित निर्णय दिनांक 26.7.2024 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में प्रार्थी अपीलार्थी की कोई लापरवाही या बदनियति प्रतीत नहीं होती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभावना पूर्ण होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील के साथ नत्थी।

  
अति जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*